न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

_**अपील संख्या–** एल आर ए/192/2016

उनवान

1. रामेश्वर लाल आत्मज बन्ना जाट निवासी फुलिया कलॉ, तहसील फुलिया कलॉ, जिला भीलवाडा
2. सुखदेव पुत्र बन्ना जाट निवासी फुलिया कलॉ, तहसील फुलिया कलॉ, जिला भीलवाडा
3. श्रीमती गुमान पत्नि कैलाशचन्द्र जाट निवासी फुलिया कलॉ, तहसील फुलिया कलॉ, जिला भीलवाडा
4. द्वारका प्रसाद पुत्र पन्ना जाट निवासी फुलिया कलॉ, तहसील फुलिया कलॉ, जिला भीलवाडा
5. श्रीमती लाड देवी पत्नि जगदीश जाट निवासी फुलिया कलॉ, तहसील फुलिया कलॉ, जिला भीलवाडा
6. श्रीमती सीता पत्नि महावरी जाट निवासी फुलिया कलॉ, तहसील फुलिया कलॉ, जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, भीलवाडा
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलिया कलॉ, जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट्स

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्व जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्रकरण

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

संख्या एफ 12–3(1) (से अ) (7)आरए / 2016 / 1523
निर्णय दिनांक 28.3.2016

अभिभाषक : 1. श्री आर एल जाट , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 20.12.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलॉ ने ग्राम फुलिया कलॉ में सार्वजनिक श्मशान हेतु बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 3582 रकबा 0.20 हे0 भूमि आराजी नम्बर 3583 रकबा 1.50 हे0 किस्म बंजड कुल रकबा 01.70 हे0 भूमि को सार्वजनिक श्मशान के समाधि स्थल हेतु आरक्षित किये जाने के लिए अभिशंषा के साथ प्रस्ताव अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया । प्राप्त प्रस्ताव अनुसार श्मशान के समाधि स्थल हेतु आरक्षित किये जाने के लिए तहसीलदार, फुलिया कलॉ से हस्ताक्षरित रिपोर्ट एवं पर्चा मौका, नक्शा ट्रेश व नकल जमाबंदी , ग्राम पंचायत फुलिया कलॉ पंचायत समिति शाहपुरा का अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 9.12.2015 के आधार पर ग्राम फुलिया कलॉ में सार्वजनिक श्मशान हेतु बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 3582 रकबा 0.20 हे0 भूमि आराजी नम्बर 3583 रकबा 1.50 हे0 किस्म बंजड कुल रकबा 01.70 हे0 भूमि को सार्वजनिक श्मशान के समाधि स्थल हेतु आरक्षित किया । जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

3. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 96 सिविल प्रकिया संहिता प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थीगण का कब्जा होकर उनके बाडे बने हुए हैं। जिन्हें बिना सुने ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे इस कारण अपीलार्थीगण को अपील पेश करने की अनुमति दी जावे।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की यथासमय जानकारी नहीं हो सकी । हाल ही में दिनांक 18.7.2016 को पटवार हल्का द्वारा मौके पर आकर अपीलार्थीगण के बाडों को सार्वजनिक श्मशान की भूमि होना बताया व श्मशान हेतु आरक्षित हो जाने से मौके से बेदखल करने की धमकी दी, इस पर अपीलार्थीगण ने मामले की जानकारी कर नकल हेतु आवेदन पत्र दिनांक 21.7.2016 को पेश किया व नकल दिनांक 21.7.2016 को प्राप्त हुई। नकल प्राप्त होते ही अवलिम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जावे।

5. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है । उनका यह भी निवेदन है कि ग्राम फुलिया कलॉ तहसील फुलिया कलॉ जिला भीलवाडा की आराजी संख्या 3582 रकबा 0.20 हे0आराजी संख्या 3583 रकबा 1.50 हे0 कुल किता 2 रकबा 1.70 हे0 भूमि ग्राम फुलिया कलॉ के श्मशान हेतु आवंटित की गई । आराजी संख्या 3582 आवंटन योग्य भूमि नहीं है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने श्मशान हेतु आवंटित करने में भारी भूल की है।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. अधिवक्ता अपीलार्थीगबण का यह भी निवेदन है कि आराजी संख्या 3582 ग्राम फुलिया कलॉ की आबादी भूमि से गी हुई है । मिसल संख्या 4/99 दिनांक 25.10.1999 द्वारा नायब तहसीलदार फुलिया कलॉ द्वारा अपीलार्थी संख्या 1 को आराजी संख्या 3582 रकबा 0.20 हे0 में से 0.03 हे0 भूमि अस्थाई बाडा हेतु आवंटित की गई। इसी प्रकार मिसल संख्या 5/99 दिनांक 25.10.1999 द्वारा 0.04 हे0 भूमि अपीलार्थी संख्या 2 को एवं मिसल संख्या 8/99 दिनांक 25.10.1999 द्वारा 0.03 हे0 भूमि अपीलार्थी संख्या 3 को मिसल संख्या 7/99 दिनांक 25.10.1999 द्वारा 0.03 हे0 भूमि, अपीलार्थी संख्या 4 को मिसल संख्या 9/99 दिनांक 25.10.1999 द्वारा रकबा 0.03 हे0, भूमि, अपीलार्थी संख्या 5 को मिसल संख्या 6/99 दिनांक 25.10.1999 द्वारा रकबा 0. 03 हे0 भूमि अपीलार्थी संख्या 3 को बाडे हेतु आवंटित की गई । इस प्रकार वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थीगण का 17 वर्ष पुराना कब्जा होकर बाडे बने हुए हैं। जहॉ मवेशियों के ठहरने एवं घास फुस डालने के लिए टीन शेड बना रखा है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व मौका भी नहीं देखा गया । अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही वादग्रस्त आराजी जो कि अपीलार्थीगण को आवंटित आराजी संख्या 3582 थी को श्मशान हेतु आवंटित कर भूल की है। इस कारण आवंटन निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि ग्राम फुलिया कलॉ में श्मशान हेतु आराजी नम्बर 3583 रकबा 1.50 हे0भूमि ही पर्याप्त है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी संख्या 3582 का श्मशान हेतु आवंटित करने में भारी भूल की है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

8. प्रत्यर्थी की ओर से योग्य राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तहसीलदार, फुलिया कलॉ, पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं उपखण्ड अधिकारी, फुलिया कलॉ की अनुशंषा के आधार पर किया गया है जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 96 सिविल प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

10. अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्‌भावी एंव संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

11. उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकलॉ द्वारा फुलिया कलॉ ने सार्वजनिक श्मशान हेतु बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 3582 रकबा 0.20 हे0 भूमि आराजी नम्बर 3583 रकबा 1.50 हे0 किस्म बंजड कुल रकबा 01.70 हे0 भूमि को सार्वजनिक श्मशान के समाधि स्थल हेतु आरक्षित किये जाने के लिए अभिशंषा के साथ प्रस्ताव अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया । प्राप्त प्रस्ताव अनुसार श्मशान के समाधि स्थल हेतु आरक्षित किये जाने के लिए तहसीलदार, फुलिया कलॉ से हस्ताक्षरित रिपोर्ट एवं पर्चा मौका, नक्शा ट्रेश व नकल जमाबंदी , ग्राम पंचायत फुलिया कलॉ पंचायत समिति शाहपुरा का अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर ग्राम फुलिया

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

कलॉ में सार्वजनिक श्मशान हेतु बिलानाम भूमि आराजी नम्बर 3582 रकबा 0.20 हे0 भूमि आराजी नम्बर 3583 रकबा 1.50 हे0 किस्म बंजड कुल रकबा 01.70 हे0 भूमि को सार्वजनिक श्मशान के समाधि स्थल हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरक्षित किये जाने का अपीलाधीन आदेश पारित किया गया । न्यायालय हाजा में अपीलार्थीगण को नायब तहसीलदार, फुलिया कलॉ द्वारा जारी बाडा आवंटन आदेश की फोटो प्रतियॉ प्रस्तुत की जिसके अनुसार दिनांक 25.10.1999 को वादग्रस्त आराजी नम्बर 3582 में से रामेश्वर पिता बन्ना जाट को 0.03 हे0 भूमि, सुखदेव पिता बन्ना जाट को 0.04 हे0 भूमि, गुमान पुत्र कैलाश चन्द्र जाट को 0.03 हे0 भूमि, लाड देवी पत्नि जगदीश जाट को 0.03 हे0 भूमि, द्वारका प्रसाद आत्मज पन्ना जाट को 0.03 हे0 भूमि, सीता पत्नि महावीर जाट को 0.03 हे0, भूमि का अस्थाई बाडा हेतु आवंटित की गई है।

12. अपीलार्थीगण ने उक्त आवंटन आदेश की पालना में बाडे बना रखे हैं। अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है एवं न ही अस्थाई बाडा हेतु आवंटन आदेश के विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही ही की गई है। चूंकि वक्त आवंटन वादग्रस्त भूमि रिक्त नहीं होकर अपीलार्थीगण के कब्जे में बाडे के रूप में रही है। न्यायालय हाजा में पटवारी हल्का की रिपोर्ट जो कि तहसीलदार फूलिया कलॉ के निर्देश दिनांक 12.7.2016 की पालना में दिनांक 17.12.2017 को तैयार की गई है। उक्त मौका रिपोर्ट में भी आराजी नम्बर 3582 रकबा 0.20 हेक्टर का मौका देखने पर उक्त भूमि पर पूर्व में ही बाडे बने होना का तथ्य अंकित है। उक्त भूमि छः काश्तकारों को बाडे आवंटित कर आवंटितियों के कब्जे में होना एवं बाडे के रूप में उपयोग उपभोग में आने

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

का तथ्य अंकित किया गया है। साथ ही यह भी तथ्य अंकित किया गया है कि उक्त भूमि का श्मशान हेतु उपयोग नहीं किया गया है। भू अभिलेख निरीक्षक वृत फुलिया कलॉ की रिपोर्ट दिनांक 6.6.2016 में भी आराजी नम्बर 3582 पर मौके पर पूर्व से बाडे बने होना अंकित किया है।

13. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि पटवारी फुलिया कलॉ की आराजी नम्बर 3582 बाबत रिपोर्ट दिनांक 26.1.2016 एवं दिनांक 17.12.2017 यानि आरक्षण से पूर्व व बाद की रिपोर्ट में भिन्नता है। पूर्व की रिपोर्ट में बाडे बाबत कोई अंकन मौका रिपोर्ट में नहीं कया गया है। इसी प्रकार ग्राम पंचायत की रिपोर्ट दिनांक 2.11.2015 एवं दिनांक 27.9.2017 में भी मौके की अनापत्ति बाबत भिन्नता है। यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से पूर्व ग्राम फुलिया कलॉ की आराजी नम्बर 3582 रकबा 0.020 हे0 के मौके का भलीभॉति अवलोकन नहीं किया गया । अपीलार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा बाडे के रूप में था ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान नही करने से एवं मौके की जांच नहीं कराई गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय का समर्थन नहीं किया जा सकता है।

14. अतः अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.3.2016 में ग्राम फुलिया कलॉ की आराजी नम्बर 3582 रकबा 0.20 हे0 के संबंध में पारित आदेश को निरस्त कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आराजी पर स्थित अस्थाई बाडे के संबंध में अपीलार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर नियमानुसार कार्यवाही कर विधिसम्मत निर्णय

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पारित करें । उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 9/1/19 को उपस्थित रहें।

15. निर्णय आज दिनांक 20.12.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

20/12/18

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा